

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग


क्रमांक प.12(27)पपा/2012

जयपुर दिनांक:- 19 APR 2017

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.04.2017 में सारणी के कॉलम संख्या 7 को तथा पृ.सं.2 पर अंकित पंक्ति “डॉ० लेखराज नारवाल को उक्त नियुक्ति माननीय जिला सेशन न्यायाधीश, अलवर में विचाराधीन फौजदारी निगरानी संख्या 117/15 के अध्याधीन दी गई है।” को विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(एन० एल० गुप्ता)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ.7(25)भर्ती/गोपनीय/2012-2013/525 दिनांक 07.03.2017 एवं एफ.7(25)भर्ती/गोपनीय/2012-2013/532 दिनांक 07.03.2017 के संदर्भ में।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
8. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज०, जयपुर/संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर लें एवं शैक्षणिक योग्यता, दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र एवं संबंधित श्रेणी के प्रमाणस्वरूप मूल दस्तावेजों से आवश्यक रूप से मिलान कर लें।
10. संबंधित अभ्यर्थी डॉ० .....
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव